

बिहार सरकार

औद्योगिक निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (पत्रांक ४०),
बिहार, पटना

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹ 49,34,912/- (कुल उनचास लाख चौतीस हजार नौ सौ बारह रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-27.09.16 की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-3868 दिनांक-25.10.16 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी०जी०सेट/कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान की राशि
1	सर्वश्री श्री साई ऑर्गेनिक फूड्स प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग, बेतिया	₹ 23,56,997 /-
2	सर्वश्री आई० जी० फूड्स एण्ड बीभरेज प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल, मधुबनी	₹ 7,07,416 /-
3	मेसर्स दादीजी पॉलीट्यूब्स, बाईपास, करमलीचक, पटना सिटी, पटना	₹ 4,20,000 /-
4	मेसर्स श्री साई ट्रेडिंग, अवधेश चौक, बाईपास रोड, मोतिहारी	₹ 2,27,500 /-
5	सर्वश्री अशोका पॉलीमर्स प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	₹ 6,87,499 /-
6	मेसर्स सुर्या प्रिन्टोग्राफिक्स, यूनिट नं०-02 जकरियारपुर, बडी पहाडी, रामकृष्णा नगर पटना	₹ 3,70,500 /-
7	सर्वश्री बंशी एयर गैसेज प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा	₹ 1,65,000 /-
	कुल	₹ 49,34,912 /-

(कुल उनचास लाख चौतीस हजार नौ सौ बारह रूपए मात्र)

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का नििकासी बहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या-10 दिनांक-19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- P2852801020160 राज्य योजना स्कीम संख्या-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।
3. इस राशि का नििकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की नििकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि की नििकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान संबंधित ईकाइयों को RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक.....

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक- 3995

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 08.11.16

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।